

बिहार में चल रहे जातगत सर्वेक्षण की जटलिताएँ

प्रलम्ब के लिये:

[सामाजिक-आर्थिक और जातगत जनगणना, भारत में जनगणना, सर्वोच्च न्यायालय](#), जाति-आधारित सर्वेक्षण, इंदरा साहनी मामला, संविधान का अनुच्छेद 16(4)

मेन्स के लिये:

जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य, जाति आधारित सर्वेक्षण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू

चर्चा में क्यों?

बिहार में चल रहे जाति-आधारित सर्वेक्षण ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे इसकी संवैधानिकता, आवश्यकता और संभावित नहितार्थों से संबंधित कानूनी बहस छड़ी गई है।

जाति आधारित सर्वेक्षण का उद्देश्य:

- जाति-आधारित सर्वेक्षण 7 जनवरी, 2023 को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि इससे सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर वस्तुतः जानकारी प्राप्त करने एवं वंचित समूहों के लिये बेहतर नीतियाँ और योजनाएँ बनाने में मदद मिलेगी।
- इस सर्वेक्षण में बिहार के 38 जिलों में 12.70 करोड़ की आबादी की जातगत जानकारी के साथ-साथ आर्थिक स्थितिका डेटा जुटाना भी शामिल है।

नोट: वर्ष 2011 में केंद्र सरकार ने [सामाजिक-आर्थिक और जातगत जनगणना \(SECC\)](#) की। हालाँकि डेटा अशुद्धियों के कारण लगभग 1.3 बिलियन भारतीयों से एकत्र किये गए डेटा का कभी प्रदर्शन नहीं किया गया।

जाति-आधारित सर्वेक्षण को कानूनी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

- जाति-आधारित सर्वेक्षण को लेकर आलोचकों का वरिध:
 - इस सर्वेक्षण को कई याचिकाकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी, जैसे [संविधान का उल्लंघन](#), गोपनीयता का उल्लंघन, राज्य सरकार की क्षमता से परे होना, राजनीति से प्रेरित होना और अवशिष्टसनीय तरीकों पर आधारित होना।
 - याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा जारी [जनगणना अधिनियम, 1948](#) की धारा 3 के तहत किसी अधिसूचना के बिना डेटा संग्रह के लिये [जिला मजिस्ट्रेट](#) और स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करने की कानूनी क्षमता का अभाव है।
 - साथ ही सभी नागरिकों की एक जातगत पहचान नरिदष्टि करना (भले ही इससे राज्य के लाभों का उपयोग सुलभ हो) संविधान के विरुद्ध है।
 - यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत पहचान के अधिकार, गरमा के अधिकार, सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार और पसंद के अधिकार के खिलाफ है।

नोट: सातवीं अनुसूची की संघ सूची में संविधान की एकमात्र प्रविष्टि संख्या 69, केंद्र सरकार को जनगणना करने का अधिकार देती है।

- दूसरे चरण पर हाईकोर्ट द्वारा रोक:

सर्वेक्षण के पहले चरण में घरों को सूचीबद्ध करना शामिल था। सरकार दूसरे चरण में **थीजब 4 मई, 2023** को उच्च न्यायालय के

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. आप उन आँकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। (2015)

प्रश्न. यद्यपि भारत में नरिधनता के अनेक विभिन्न प्राक्कलन किये गए हैं, तथापि सभी समय गुजरने के साथ नरिधनता स्तरों में कमी आने का संकेत देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण नरिधनता संकेतकों का उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/complexities-of-bihar-s-ongoing-caste-survey>

